<u>उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल</u>

अध्याय VIII, नियम 32 (2) (ख) मामले का
विवरण

<u>रिट याचिका सं0 2512 का 2011(एमएस)</u>

बार एसोसिएशन, देरहादुन..... पेटिटॉनर।

बनाम

उत्तराखंड राज्य और दूसरा। ... उत्तरदाताओं।

उपस्थित:

श्री नीरज गर्ग, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री परेश त्रिपाठी, एडिशनल।राज्य के लिए सीएससीएम।

रिपोर्टिंग के लिए स्वीकृत

~~रिपोर्टिंग के लिए अनुमोदित नहीं।~~

दिनांकः19.11.2013 न्यायाधीश **का प्रारंभिक**

टिप्पणी:पीठ रीडर इसे निर्णय के पहले पृष्ठ के शीर्ष पर संलग्न करेगा जब इसे हस्ताक्षर के लिए न्यायाधीश के सामने रखा जाएगा।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

रिट याचिका सं। 2011 का 2512 (एम/एस)

बार एसोसिएशन देहरादून ... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ... प्रतिवादी

उपस्थितः
श्री नीरज गर्ग, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।
श्री परेश त्रिपाठी, राज्य के लिए अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील।

माननीय आलोक सिंह, जे (ओरल)।

पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड ने 27 दिसंबर, 2010 को पैराग्राफ संख्य 1 सामान्य आदेश जारी किया निम्नानुसार हैः

यदि वाहन के चालक के पास मोटर वाहन अधिनियम की खंड 207 के से उल्लिखित उचित दस्तावेज नहीं हैं, तो वाहन को जब्त किया जाना चाहिए और जब्ती की जानकारी परिवहन अधिकारियों को भेजी जानी चाहिए; चलानी रिपोर्ट सक्षम अदालत को भेजने की आवश्यकता नहीं है; खंड 207 के से जब्त किए गए वाहनों को छोड़ने का अधिकार मात्र मोटर वाहन अधिनियम की खंड 207 के से उल्लिखित अधिकारियों के पास होगा।

शर्त नं.1 से व्यथित महसूस करना। याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के से वर्तमान रिट याचिका को प्राथमिकता दी है।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 से खंड 207 निम्नानुसार हैः

207. पंजीकरण परमिट आदि के प्रमाण पत्र के बिना उपयोग किए जाने वाले वाहनों को रोकने की शक्ति।

(1) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति

(ख) यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि मोटर वाहन का उपयोग धारा 3 या धारा 4 या धारा 39 के उपबंधों के उल्लंघन में या धारा 66 खंड उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित अनुज्ञप्ति के बिना किया गया है या किया जा रहा है या उस मार्ग से संबंधित ऐसे अनुज्ञप्ति खंड किसी शर्त का उल्लंघन करते हुए, जिस पर या उस क्षेत्र में या उस प्रयोजन के लिए वाहन का उपयोग किया जा सकता है, निर्धारित रीति से वाहन को अभिगृहीत और अवरोधित कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए वाहन खंड अस्थायी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए कोई उचित कदम उठा सकता है या उठा सकता हैःबशर्ते कि जहां ऐसे किसी अधिकारी या व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि मोटर वाहन का उपयोग धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में या धारा 66 खंड उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित परमिट के बिना किया गया है या किया जा रहा है, वह वाहन को जब्त करने के बजाय वाहन के पंजीकरण का प्रमाण पत्र जब्त कर सकता है और उसके संबंध में एक पावती जारी करेगा।

(2) जहां किसी मोटर वाहन को उप-धारा (1) के से जब्त कर लिया गया है और हिरासत में लिया गया है, वहां मोटर वाहन का मालिक या प्रभारी व्यक्ति परिवहन प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अधिकारी को वाहन खंड रिहाई के लिए प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकता है और ऐसा प्राधिकरण या अधिकारी, ऐसे दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात आदेश द्वारा वाहन को ऐसी शर्तों के अधीन छोड़ सकता है जो प्राधिकरण या अधिकारी अधिरोपित करना उचित समझे।"

अधिनियम खंड खंड 207 का अवलोकन करने के पश्चात् इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा इस आत्यन्तिक रूप प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकारी, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि मोटर वाहन का उपयोग खंड 3 या खंड 4 या खंड 39 के उपबंधों के उल्लंघन में या खंड खंड उपखंड (1) द्वारा अपेक्षित अनुमति के बिना किया गया है या किया जा रहा है, तो वह ऐसा अभिनिर्धारित कर सकता है 66 या उस मार्ग से संबंधित ऐसे परमिट के उल्लंघन या किसी शर्त में या जिस क्षेत्र में या जिस उद्देश्य के लिए वाहन का उपयोग किया जा सकता है, निर्धारित तरीके से वाहन को जब्त और हिरासत में ले सकता है।खंड 207 खंड उप-खंड (2) में अग्रेतर यह प्रावधान है कि खंड 207 के से जब्त किए गए वाहन को परिवहन प्राधिकरण या इसमें अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है। राज्य सरकार की ओर से, यदि रिहाई के लिए प्रासंगिक दस्तावेज ऐसे अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 से खंड 192 और खंड 192-ए निम्नानुसार हैः

"**192. बिना पंजीकरण के वाहन** का उपयोग करना।(1) जो कोई मोटर वाहन चलाता है या खंड 39 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मोटर वाहन का उपयोग करने देता है या अनुमति देता है, वह पहले अपराध के लिए जुर्माने से दंडनीय होगा जो पांच हजार रुपये तक बढ़ सकता है, लेकिन दूसरे या बाद के अपराध के लिए दो हजार रुपये से कम नहीं होगा, कारावास से जो एक वर्ष तक बढ़ सकता है या जुर्माने से जो तब हजार रुपये तक बढ़ सकता है लेकिन पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा या दोनों से दंडनीय होगाः

बशर्ते कि अदालत, दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, कम सजा दे सकती है।

(2) इस धारा खंड कोई बात आपात स्थिति में बीमारी या चोटों से पीड़ित व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर वाहन के उपयोग या संकट से राहत के लिए भोजन या सामग्री के परिवहन या समान उद्देश्य के लिए चिकित्सा आपूर्ति के उपयोग पर लागू नहीं होगीः

बशर्ते कि वाहन का उपयोग करने वाला व्यक्ति इस तरह के उपयोग की तिथि से सात दिनों के भीतर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को इसके बारे में रिपोर्ट करता है।

(3) वह न्यायालय जिसके समक्ष उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकृति के अपराध के संबंध में किसी दोषसिद्धि के अपास्त अपील खंड जाती है, निम्न न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश को अपास्त या परिवर्तित कर सकता है, इसके बावजूद कि ऐसे आदेश के संबंध में दोषसिद्धि के विरुद्ध कोई अपील नहीं खंड गई थी।

192 ए. बिना परमिट के वाहन का उपयोग करना।- (1) जो कोई मोटर वाहन चलाता है या सीमा 66 खंड उपसीमा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए या उस मार्ग के संबंध में परमिट खंड किसी शर्त का उल्लंघन करते हुए मोटर वाहन का उपयोग करने का कारण बनता है या अनुमति देता है, जिस पर या जिस क्षेत्र में या जिस उद्देश्य के लिए वाहन का उपयोग किया जा सकता है, वह पहले अपराध के लिए जुर्माने से दंडनीय होगा जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है लेकिन दो हजार रुपये से कम नहीं होगा और कारावास के साथ पश्चातवर्ती अपराध जो एक वर्ष तक बढ़ सकता है लेकिन तीन महीने से कम नहीं होगा या जुर्माना जो दस हजार रुपये तक बढ़ सकता है लेकिन पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा या दोनों के साथः

बशर्ते कि अदालत दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए कम सजा दे सकती है।

(2) बीमारी या चोट से पीड़ित व्यक्तियों के परिवहन के लिए या मरम्मत के लिए सामग्री के परिवहन के लिए या संकट को दूर करने के लिए भोजन या सामग्री के परिवहन के लिए या इसी तरह के उद्देश्य के लिए चिकित्सा आपूर्ति के लिए आपात स्थिति में मोटर वाहन के उपयोग पर इस धारा खंड कोई बात लागू नहीं होगीः

बशर्ते कि वाहन का उपयोग करने वाला व्यक्ति इस तरह के उपयोग की तिथि से सात दिनों के भीतर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को इसके बारे में रिपोर्ट करता है।

(3) जिस न्यायालय में उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकृति के अपराध के संबंध में किसी दोषसिद्धि के अपास्त अपील की जाती है, उसे निम्न न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश को अपास्त या परिवर्तित किया जा सकता है, इसके बावजूद कि उस दोषसिद्धि के विरुद्ध कोई अपील नहीं है जिसके संबंध में ऐसा आदेश दिया गया था।"

मोटर वाहन अधिनियम खंड खंड 192 और 192-ए का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि यदि मोटर वाहन का उपयोग खंड 39 के प्रावधानों के उल्लंघन में या खंड 66 खंड उप-खंड (1) के प्रावधान के उल्लंघन में या परमिट खंड किसी शर्त के उल्लंघन में विद्वान जाता है, तो दंड प्रक्रिया संहिता के से स्थापित विद्वत आपराधिक न्यायालय मोटर वाहन अधिनियम खंड खंड 192 या 192-ए के से प्रदान खंड गई सजा या जुर्माना दे सकता है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 और 192-192 ए के संयुक्त पठन खंड यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या धारा 39 के प्रावधानों या उप-अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए किसी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा धारा 207 के से अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा वाहन जब्त किया जाता है। धारा 66 खंड धारा (1) या परमिट खंड किसी शर्त का उल्लंघन करते हुए वाहन का स्वामी परिवहन प्राधिकरण के समक्ष या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष धारा 207 खंड उपधारा (2) से विद्वत मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप-पत्र दाखिल करने खंड पूर्व वाहन को छोड़ने के लिए आवेदन कर सकता मात्र, यद्यपि यदि धारा 192 और 192-क से दंडनीय अपराधों के लिए विद्वत मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप-पत्र दाखिल विद्वान जाता मात्र तो विद्वत मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार वाहन को छोड़ने खंड क्षेत्राधिकार होगी।इसलिए पुलिस महानिदेशक का

यह निर्देश कि किसी भी चलानी रिपोर्ट को आपराधिक अदालत को नहीं भेजा जाना चाहिए और मोटर वाहन अधिनियम की खंड 207 के से जब्त किए गए वाहन को मात्र मोटर वाहन अधिनियम की खंड 207 के से उल्लिखित अधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है, कानून की नजर में कायम नहीं है।

याचिका लिखें और सी. एल. एम. ए. सं. 2011 का 12452 तदनुसार निपटाया गया है।

(आलोक सिंह, न्यायमूर्ति)
19.11.2013

अवनीत